पार्टी संविधान

प्रस्तावना

भारत का सर्वहारा वर्ग अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग का ही एक हिस्सा है।

भारत का सर्वहारा वर्ग अपनी पार्टी के नेतृत्व में विश्व सर्वहारा समाजवादी क्रांति के हिस्से के रूप में भारत में समाजवादी क्रांति को संपन्न करेगा। भारत का सर्वहारा वर्ग अपनी पार्टी के नेतृत्व में भारतीय पूंजीपति वर्ग और साम्राज्यवाद के गठजोड़ को उखाड़ फेंककर सर्वहारा अधिनायकत्व लागू करेगा। भारत के सर्वहारा वर्ग का अन्तिम उद्देश्य अपनी पार्टी के नेतृत्व में सर्वहारा अधिनायकत्व के तहत निजी सम्पत्ति के पूंजीवादी रूपों समेत सभी रूपों का खात्मा करते हुए मानव द्वारा मानव के शोषण और उत्पीड़न का अंत करके वर्गविहीन-राज्यविहीन साम्यवादी समाज की स्थापना करना है।

भारत का सर्वहारा वर्ग अपनी पार्टी के नेतृत्व में पूंजीवाद-साम्राज्यवाद से त्रस्त सभी वर्गों/तबकों को नेतृत्व प्रदान करेगा।

भारत के सर्वहारा वर्ग की पार्टी मार्ग निर्देशक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुंङ विचारधारा को स्वीकार करती है।

पुनर्गठन कमेटी, भारत की कम्युनिस्ट लीग (माले) अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पुनर्गठन को अपना केन्द्रीय कार्यभार मानती है और इसमें अपनी क्षमतानुसार योगदान करने का संकल्प लेती है।

पुनर्गठन कमेटी, भारत की कम्युनिस्ट लीग (माले) भारत के सर्वहारा वर्ग के तात्कालिक लक्ष्य समाजवाद की स्थापना और दीर्घकालिक लक्ष्य साम्यवाद की स्थापना को पूरा करने हेतु भारत के सर्वहारा वर्ग के अगुवा के हिस्से के रूप में अपनी क्षमतानुसार योगदान करने का संकल्प व्यक्त करती है।

नाम व झण्डा

धारा-1: (a) पार्टी संगठन का नाम भारत की कम्युनिस्ट लीग (माले) होगा।

(b) इसका झण्डा लाल रंग का होगा। यह 3:2 में होगा। इसके बाहरी ऊपरी किनारे पर सफेद रंग का हंसिया हथौड़ा का चिह्न होगा।

पार्टी के सांगठनिक सिद्धान्त

धारा-2: जनवादी केन्द्रीयता

पार्टी का ढ़ांचा और उसकी कार्यवाहियां जनवादी केन्द्रीयता के सिद्धान्त पर आधारित हैं। इस सिद्धान्त के आधार पर ही क्रांतिकारी जनदिशा को सबसे बेहतर तरीके से विकसित और लागू किया जा सकता है। इसके तहत-

(a) सभी स्तरों पर पार्टी के नेतृत्वकारी निकाय चुने जायेंगे।

(b) हर एक पार्टी सदस्य किसी न किसी पार्टी इकाई/कमेटी से अवश्य संबद्ध होगा।

(c) प्रत्येक सदस्य अपनी पार्टी इकाई/कमेटी के मातहत होगा। अल्पमत बहुमत के मातहत होगा। निचली कमेटियां ऊपरी कमेटियों के मातहत होंगी और सभी कमेटियां व सदस्य पुनर्गठन कमेटी के मातहत होंगे। पार्टी सम्मेलन पार्टी का सर्वोच्च निकाय है।

(d) किसी इकाई/कमेटी में फैसला ले लिये जाने से पूर्व उसका हर सदस्य अपनी बात को खुलकर रख सकता है, उस पर चर्चा कर सकता है। वह पार्टी नीतियों व विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कर सकता है किन्तु एक बार फैसला हो जाने के उपरांत सभी को उस निर्णय का पालन करना होगा। भिन्न राय होने पर यदि वह चाहे तो अपना विरोध दर्ज करा सकता है।

(e) नेतृत्वकारी कमेटियों के प्रत्येक सदस्य को किसी खास क्षेत्र की या विशेष काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिससे वह वहां से प्रत्यक्ष अनुभव ग्रहण कर सके।

(f) पार्टी में किसी भी सदस्य/समूह को गुटबाजी की इजाजत नहीं है।

(g) i- यदि पार्टी इकाई/कमेटी में कोई गंभीर मतभेद उठ खड़ा हो तो उसे तुरंत पार्टी की ऊपरी कमेटी को सूचित किया जाना चाहिए। यदि मतभेद सम्बन्धित कमेटियों में हल नहीं हो पा रहे हैं और यदि सर्वोच्च कमेटी उचित समझती है तो उन मुद्दों पर पार्टी में बहस संचालित करवा सकती है। बहस के बाद उन मुद्दों पर सर्वोच्च कमेटी की अन्तिम राय ही पार्टी की अवस्थिति होगी। इन मुद्दों को पुनः सम्मेलन में उठाया जा सकता है।

ii- ऐसे बुनियादी किस्म (पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम या अन्य) के मतभेदों को हल करने के लिए सम्बन्धित सदस्य पार्टी सम्मेलन की मांग कर सकता है। सर्वोच्च कमेटी भी मतभेदों की गम्भीरता के मद्देनजर विशेष सम्मेलन आयोजित कर सकती है।

सदस्यता

<u>धारा</u>-3:

A. कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुका है पार्टी का सदस्य हो सकता है यदि-

(a)सम्बन्धित साथी मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा को स्वीकार करता हो

(b) सम्बन्धित साथी पार्टी के कार्यक्रम और संविधान को स्वीकार करता हो

(c) सम्बन्धित साथी जन संगठनों में या उस स्तर के कामों में स्वतंत्र कार्यकर्ता हो

(d) सम्बन्धित साथी पार्टी द्वारा निर्धारित लेवी नियमित रूप से अदा करता हो

(e) सम्बन्धित साथी पार्टी अनुशासन को स्वीकार करते हुए किसी पार्टी निकाय में शामिल होकर काम करता हो

B. पूर्ण सदस्य होने से पहले सम्बन्धित साथी को एक अंतराल तक उम्मीदवार सदस्य के रूप में रखा जायेगा जो अलग-अलग वर्गों से आये साथियों के लिए निम्नवत् है-

(a) बुनियादी वर्गों से आने वाले साथी कम से कम एक वर्ष तक पार्टी के उम्मीदवार सदस्य रहे हों।

(b) मित्र वर्गों से आने वाले साथी कम से कम दो वर्षों तक पार्टी के उम्मीदवार सदस्य रहे हों।

(c) दुश्मन वर्गों से आने वाले साथी कम से कम तीन वर्षों तक पार्टी के उम्मीदवार सदस्य रहे हों।

(d) उम्मीदवार सदस्य बनने के लिए किसी भी वर्ग के साथी की जन संगठन स्तर पर स्वतंत्र कार्यकर्ता और लेवी की अवधि न्यूनतम एक वर्ष की होगी।

C. नये पार्टी सदस्य/उम्मीदवार सदस्य की भर्ती के लिए पार्टी इकाई ऊपरी कमेटी को अपनी संस्तुति भेजेगी। नये पार्टी सदस्य या उम्मीदवार सदस्य की भर्ती का निर्णय ऊपरी कमेटी द्वारा ही लिया जायेगा।

D. उम्मीदवार सदस्य पार्टी इकाई का हिस्सा होगा। उसके पास चुनने और चुने जाने तथा मत देने के अलावा सदस्य के समान ही अधिकार होंगे।

E. यदि किसी व्यक्ति का पहले कोई राजनीतिक अतीत रहा है और वह पार्टी में भर्ती होना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति की भर्ती के बारे में फैसला सर्वोच्च कमेटी करेगी। यह बात उन साथियों पर भी लागू होगी। जो किसी अन्य क्रांतिकारी कम्युनिस्ट ग्रुप से आये हों।

F. पार्टी सदस्यता का नवीनीकरण पार्टी सम्मेलन के समय होगा।

पार्टी सदस्यों के अधिकार

<u>धारा</u>-4: (a) पार्टी कमेटियों में चुनने और चुने जाने का अधिकार।

(b) पार्टी काम के बारे में प्रस्ताव या सुझाव रखने का अधिकार।

(c) पार्टी की नीतियों व गतिविधियों को तय करने में अपनी पार्टी इकाई में भाग लेने का अधिकार।

(d) पार्टी इकाई/कमेटी के किसी फैसले से असहमत होने की स्थिति में, सदस्य कमेटी/इकाई के फैसले का पूर्ण निष्ठा से पालन करते हुए सम्बन्धित कमेटी/इकाई में अपना भिन्न मत रख सकता है। कमेटी/इकाई के फैसले पर वह सम्बन्धित कमेटी/इकाई में सम्बन्धित कमेटी के निर्णयानुसार दोबारा विचार के लिए रख सकता है। वह अपनी असहमति को पार्टी की सर्वोच्च कमेटी तक भेज सकता है।

(e) अपने विरुद्ध की जा रही किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अपील का अधिकार।

पार्टी सदस्यों के कर्त्तव्य

<u>धारा</u>-5: (a) वह मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करेगा व अपनी समझदारी को उन्नत करने का प्रयत्न करेगा और अपने दैनंदिन के कार्यों में उसे मार्गदर्शक सिद्धान्त के रूप में लेगा।

(b) वह पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और निर्देशों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लागू करेगा। पार्टी की गोपनीयता को बनाये रखेगा।

(c) वह पार्टी अनुशासन को सख्ती से लागू करेगा।

(d) वह एक दूसरे की मदद करने के दृष्टिकोण से तथा सामूहिक व व्यक्तिगत कामों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए पार्टी इकाई/कमेटी में खुले मन से आलोचना और आत्मालोचना करेगा।

i- आलोचना और आत्मालोचना पार्टी लाइन और उसके व्यवहार के मद्देनजर होनी चाहिए। साथियों की गलतियों को सहायता और आपसी सहयोग से सुधारने का प्रयास करना चाहिए। एक पार्टी सदस्य के कार्य की समीक्षा उसके पार्टी में कुल व्यवहार के आधार पर की जानी चाहिए न कि एकाकी गलतियों के आधार पर।

ii- आलोचना पार्टी के और सम्बन्धित कमेटी के भीतर होनी चाहिए, उसके बाहर नहीं।

iii- किसी भी ऊपरी कमेटी के सम्बंध में आलोचना या उसके किसी निर्णय के विरुद्ध आलोचना सीधे उस कमेटी को भेजी जानी चाहिए।

(e) वह पार्टी हितों को व्यक्तिगत हितों के ऊपर रखेगा।

(f) वह जनसमुदाय के साथ स्वयं को एकाकार करेगा। 'जनता से लेकर जनता को दो' की नीति पर कार्य करेगा। वह जनसमुदाय के साथ पार्टी के हितों को प्रगाढ़ बनाने और जनसमुदाय का भरोसा जीतने हेतु हर सम्भव प्रयत्न करेगा।

(g) पार्टी की सदस्यता/उम्मीदवार सदस्यता ग्रहण करने वाले साथी को निम्न शपथ लेनी होगी :

> मैं .... भारत की कम्युनिस्ट लीग (माले) की उम्मीदवार सदस्यता/ सदस्यता को स्वीकार करता/करती हूं। मैं मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा को अपना पथप्रदर्शक सिद्धान्त स्वीकार करता/करती हूं।
>
> मैं यह शपथ लेता/लेती हूं कि मैं पार्टी की विचारधारात्मक-राजनीतिक लाइन पर दृढ़ता से कायम रहूंगा/रहूंगी। मैं पार्टी संगठन के जनवादी केन्द्रीयता के उसूलों का दृढ़ता से पालन करूंगा/करूंगी। मैं यह शपथ लेता/लेती हूं कि पार्टी संगठन की गोपनीयता की हर कीमत पर रक्षा करूंगा/करूंगी। मैं सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धान्त का पालन करूंगा/करूंगी। पार्टी द्वारा दी गयी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ लागू करने का प्रयास करूंगा/करूंगी। मैं व्यक्तिगत हितों को हमेशा पार्टी व इंकलाब के हितों के मातहत रखूंगा/रखूंगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी जिससे पार्टी व इंकलाब के हितों को नुकसान पहुंचे।

पार्टी अनुशासन

<u>धारा</u>-6:

कम्युनिस्ट पार्टी में अनुशासन स्वैच्छिक और सचेतन होता है। यह अनुशासन उसके पार्टी की विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियों से सहमत होने पर आधारित होता है। इसलिए अनुशासन पार्टी सदस्य के जीवन का अविभाज्य हिस्सा होता है। यही बात पार्टी इकाइयों पर भी लागू होती है।

(a) पार्टी इकाइयां कोई भी निर्णय पार्टी लाइन के अनुसार ही लेंगी। पार्टी लाइन के विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं लिया जायेगा।

(b) पार्टी की रक्षा करने, जनवादी केन्द्रीयता के उसूल का पालन करने, पार्टी में एकता बनाये रखने के लिए अनुशासन अपरिहार्य है। पार्टी अनुशासन के बिना कोई भी पार्टी जनसंघर्षों का नेतृत्व नहीं कर सकती और न ही क्रांति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकती है। अनुशासन नेतृत्व समेत सभी पार्टी सदस्यों पर समान रूप से लागू होगा।

(c) पार्टी लाइन या पार्टी निर्णयों का कोई भी उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जायेगा और ऐसा करने पर पार्टी सदस्य/इकाई/कमेटी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(d) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए निम्न तरीका अपनाया जायेगा-

i- पार्टी सदस्य के पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित इकाई चेतावनी, गंभीर चेतावनी, पार्टी पद से निलंबित करना, पद से हटाना, पदावनति, पार्टी सदस्यता निलंबित करना या रद्द करना, पार्टी से बाहर निकालना जैसे अनुशासनात्मक कदम उठायेगी।

ii- पार्टी सदस्यता से निलंबन व पार्टी से निष्कासन जैसे निर्णय ऊपरी कमेटी के अनुमोदन के बाद ही लागू होंगे।

iii- निलंबन की समयावधि निर्धारित की जायेगी। समयावधि के उपरांत सम्बन्धित कमेटी मामले का अवलोकन करने के बाद ही यथोचित कदम उठायेगी।

iv- अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध सम्बन्धित सदस्य सर्वोच्च कमेटी तक अपील कर सकता है।

v- निचली कमेटियां उच्चतर कमेटी के किसी सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग कर सकती हैं। ऐसे मामलों में पार्टी सदस्य अपने आरोप और सुझाव सर्वोच्च कमेटी को भेज सकते हैं।

vi- निष्कासन सबसे बड़ा दण्ड है। ऐसे मामलों में ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पार्टी सदस्य की अपील का निवेदित ऊपरी कमेटी गहराई से अध्ययन करेगी और उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करेगी जिसमें गलती हुई थी।

vii- उपरोक्त सारी बातें कमेटी के सदस्यों के लिए भी लागू होंगी।

viii- उपरोक्त सारी बातें पार्टी इकाइयों/कमेटियों पर भी लागू होंगी।

पार्टी ढ़ांचा

धारा-7:

पार्टी की सर्वोच्च कमेटी पुनर्गठन कमेटी होगी। पार्टी की प्राथमिक इकाई पार्टी इकाई होगी। पुनर्गठन कमेटी और पार्टी इकाई के बीच मध्यवर्ती कमेटियां होंगी।

A. पार्टी सम्मेलन

पार्टी सम्मेलन पार्टी का सर्वोच्च निकाय होगा। आमतौर पर पार्टी सम्मेलन पांच वर्षों में आयोजित किया जायेगा। जरूरत पड़ने पर इसे पहले भी बुलाया जा सकता है। पार्टी सम्मेलन के प्रतिनिधियों के मानदण्ड का निर्धारण पुनर्गठन कमेटी करेगी। पार्टी सम्मेलन बुलाने का काम पुनर्गठन कमेटी करेगी।

पुनर्गठन कमेटी दो सम्मेलनों के बीच हुए राजनैतिक सांगठनिक विकासक्रम पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पुनर्गठन कमेटी राजनीतिक-सांगठनिक-रणकौशलात्मक लाइन में संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है। सम्मेलन का कोई अन्य भागीदार भी संशोधन प्रस्तावित कर सकता है। सम्मेलन अपने बीच से सर्वोच्च कमेटी का चुनाव करेगा।

B. पुनर्गठन कमेटी

दो पार्टी सम्मलनों के बीच पुनर्गठन कमेटी पार्टी का सर्वोच्च निकाय होगा। पुनर्गठन कमेटी अपने बीच से सचिव का चुनाव करेगी। पुनर्गठन कमेटी जरूरत पड़ने पर विशेष समस्याओं के समाधान के लिए प्लेनम बुला सकती है। पुनर्गठन कमेटी पार्टी सम्मेलन द्वारा तय आमदिशा की रोशनी में पार्टी नीतियों में बदलाव कर सकती है, किन्तु ऐसे मूलभूत बदलावों को उसे अगले सम्मेलन में पारित करवाना पड़ेगा। पुनर्गठन कमेटी दो तिहाई बहुमत से दो सम्मेलनों के बीच में किसी नये सदस्य को अपने भीतर शामिल कर सकती है। पुनर्गठन कमेटी पार्टी मुखपत्र का सम्पादन करेगी। यदि पार्टी में पार्टी नीतियों या निर्णयों पर कोई बहस उठ खड़ी होती है तो उसका संचालन पुनर्गठन कमेटी करेगी। पुनर्गठन कमेटी ही पार्टी के रोज-ब-रोज के कार्यों समेत सभी राजनैतिक-सांगठनिक कामों को संचालित करेगी। पुनर्गठन कमेटी के एक तिहाई सदस्यों की मांग पर सचिव को बैठक बुलानी पड़ेगी। पुनर्गठन कमेटी के किसी भी सदस्य को दो तिहाई बहुमत से कमेटी से निष्कासित किया जा सकता है। पुनर्गठन कमेटी के कोरम को पूरा करने के लिए आधे सदस्य आवश्यक हैं। पुनर्गठन कमेटी पार्टी के किन्हीं विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए पुनर्गठन कमेटी के सदस्यों या अन्य सदस्यों को लेकर किसी उपसमिति या आयोग का गठन कर सकती है।

C. मध्यवर्ती कमेटियां

(a) पुनर्गठन कमेटी एवं प्राथमिक इकाई के बीच में मध्यवर्ती कमेटियां होंगी, जैसे- प्रदेश कमेटी, क्षेत्रीय कमेटी, जिला कमेटी, इलाकाई कमेटी आदि। ऊपरी कमेटियां नीचे के ढ़ांचे से तालमेल कायम करने के लिए या संगठन के सुचारु ढ़ंग से संचालन के लिए प्रभारी/संगठनकर्ता नियुक्त कर सकती है।

(b) मध्यवर्ती कमेटियां निचली कमेटियों द्वारा चुनी जायेगी या ऊपरी कमेटी मध्यवर्ती कमेटियों को मनोनीत भी कर सकती है। मध्यवर्ती कमेटियां अपने से ठीक नीचे की कमेटियों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों से गठित होंगी।

(c) इन कमेटियों के गठन व कार्यक्षेत्र को पुनर्गठन कमेटी तय करेगी।

(d) इन मध्यवर्ती कमेटियों में सदस्यों की संख्या को पुनर्गठन कमेटी तय करेगी। ये कमेटियां भी अपने बीच से सचिव का चुनाव करेंगी।

(e) प्राथमिक इकाई से ठीक ऊपर की कमेटी में अंशकालिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। इसके ऊपर की कमेटियों में केवल पूर्णकालिक कार्यकर्ता ही होंगे। जिला स्तर से ऊपर की कमेटियों में केवल पेशेवर क्रांतिकारी होंगे।

D. प्राथमिक इकाई

(a) प्राथमिक इकाई सदस्यों व उम्मीदवार सदस्यों को लेकर गठित होगी। प्राथमिक इकाई के गठन के लिए कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए। प्राथमिक इकाई अपने बीच से सचिव का चुनाव करेगी।

(b) उम्मीदवार सदस्यों के पास वोट देने, चुनने व चुने जाने का अधिकार नहीं होगा। उम्मीदवार सदस्य वोट के अधिकार के साथ किसी अस्थायी निकाय का हिस्सा बनाये जा सकते हैं।

(c) प्राथमिक इकाइयों की अपने सम्बन्धित क्षेत्र में पार्टी की नीतियों, निर्णयों व योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होगी।

(d) प्राथमिक इकाई में सदस्यों की संख्या सात से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

अंतः पार्टी बहस

<u>धारा</u>-8: (a) पुनर्गठन कमेटी किसी भी मुद्दे पर जरूरत होने पर पूरी पार्टी के भीतर बहस संगठित कर सकती है।

(b) प्राथमिक इकाई से लेकर अन्य कमेटियों तक का कोई भी सदस्य यदि पार्टी की किसी नीति या निर्णय से असहमत है तो वह पुनर्गठन कमेटी को अपनी अवस्थिति लिखित में भेज सकता है किंतु पहले उसे अपनी सम्बंधित इकाई/कमेटी में इस पर बहस चलानी होगी। पुनर्गठन कमेटी ऐसे किसी भी व्यक्ति की अवस्थिति पर बहस चलवा भी सकती है और नहीं भी। किंतु ऐसी सभी बहसें पार्टी लाइन के चौखटे में ही होंगी।

(c) बहस को कब चलाया जाय और कब खत्म किया जाय इसका निर्णय पुनर्गठन कमेटी करेगी।

(d) पुनर्गठन कमेटी बहस का संचालन करेगी तथा बहस पर अन्तिम अवस्थिति पुनर्गठन कमेटी की ही होगी। सम्बन्धित साथी इस बहस को पुनः सम्मेलन में उठा सकता है।

पार्टी मुखपत्र

<u>धारा</u>-9:

पार्टी अपने मुखपत्र निकालेगी। इनके सम्पादन का कार्य पुनर्गठन कमेटी अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत कमेटियां करेंगी। पार्टी संगठन इसमें अपनी विचारधारात्मक व राजनीतिक अवस्थितियों को पार्टी व पार्टी के बाहर के लिए जारी करेगा।

अंतः पार्टी बुलेटिन

<u>धारा</u>-10: (a) पार्टी संगठन के राजनीतिक विकास के लिए एक अनियतकालीन बुलेटिन निकालेगी। इसमें पुनर्गठन कमेटी द्वारा जारी किये गये सकुर्लर, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं व परिघटनाओं पर पार्टी अवस्थितियां व लेख तथा विभिन्न मुद्दों पर पार्टी संगठन के भीतर की बहसों को जगह दी जायेगी। अंतः पार्टी बुलेटिन में बहसों का दायरा पार्टी लाइन के इर्द-गिर्द ही रहेगा।

(b) बुलेटिन के हर अंक को पुनर्गठन कमेटी जारी करेगी। बुलेटिन का सम्पादन भी पुनर्गठन कमेटी करेगी।

(c) बुलेटिन की बहसों में हिस्सेदारी, बुलेटिन की सम्पादन समिति के मार्फत ही होगी। कोई भी साथी स्वतंत्र रूप से अपना अवस्थिति पत्र जारी नहीं कर सकता। पुनर्गठन कमेटी बहस के लेखों को छद्म नाम से जारी करेगी।

(d) बुलेटिन में चली बहस के उपरांत पुनर्गठन कमेटी उन मुद्दों पर अपनी अवस्थिति जारी करेगी। पुनर्गठन कमेटी की अवस्थिति ही पार्टी की औपचारिक अवस्थिति मानी जायेगी। इन मुद्दों पर पुनः बहस पार्टी संगठन के प्लेनम या पार्टी सम्मेलन में ही उठायी जा सकेगी।

(e) पार्टी मुखपत्र के विपरीत बुलेटिन किसी भी स्थिति में पार्टी दायरों से बाहर नहीं जायेगा।

जनसंगठनों में पार्टी फ्रैक्सन

धारा–11:

जनसंगठनों के भीतर विभिन्न स्तरों पर पार्टी फ्रैक्सन गठित किये जा सकते हैं। इन फ्रैक्सनों में पार्टी सदस्य या उम्मीदवार सदस्य होंगे। ये पार्टी फ्रैक्सन विभिन्न स्तरों पर सम्बन्धित पार्टी निकायों के मातहत होंगे। जनसंगठनों में कार्यरत पार्टी फ्रैक्सन किसी पार्टी कमेटी का स्थान नहीं ले सकता।

लेवी

धारा–12:

पार्टी जनता से अपने जुड़ाव को मजबूत बनाने और जनता पर भरोसा करने की नीति पर चलेगी। पार्टी अपनी लेवी को मूलतः पार्टी सदस्यों, उम्मीदवार सदस्यों व समर्थकों से ही इकट्ठा करेगी। पार्टी उपरोक्त साथियों से नियमित और अनियमित लेवी लेगी। लेवी की मात्रा आम तौर पर संबंधित साथी की स्थिति के मद्देनजर आय के 2 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक हो सकती है। इसके अलावा गैर पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों से भी इंकलाब के लिए लेवी ली जायेगी।

■■■